न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बागनिया आर.ए.एस
प्रकरण संख्या 94/2025 प्रा.प.
जी.सी.एम.एस.नम्बर—2025/123

उनवान

1. श्रीमती गंगा पत्नी रतना मीणा उम्र बालिग
2. श्रीमती देवली पत्नी शंकर मीणा उम्र बालिग
3. श्री रतना पिता कालिया मीणा उम्र बालिग
4. श्री शंकर पिता कालिया मीणा उम्र बालिग

सभी निवासीयान साजनोत, तहसील झल्लारा जिला सलूम्बर (राज.)।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार झल्लारा तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।

—विपक्षी

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

—::निर्णय::—

दिनांकः—25/02/2026

उपस्थितिः श्री खातुलाल मीणा अधिवक्ता—प्रार्थी
पेरोकार सरकार भूमिधारी तहसीलदार झल्लारा उपस्थित।

आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—128 राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी की भूमि मौजा साजनोत पटवार हल्का बुडेल तहसील झल्लारा मे स्थित है जिसके खाता संख्या 235 आराजी नम्बर 1986 रकबा 1.52 हैक्टेयर एवं 2011/1 रकबा 0.50 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 2.02 हैक्टेयर है। प्रार्थीगण उक्त आराजीयात की भूमि के सटमा पडौसी खातेदार के बीच सीमा को लेकर आए दिन आपस में विवाद होता रहता है। प्रार्थीगण ने पूर्व में सीमा जानकारी करवाई है, लेकिन पडौसी आराजीयात के स्वामी मानने को तैयार नहीं है। अतः भविष्य में होने वाले वाद विवाद से बचने के लिये प्रार्थी अपने खेतो की पत्थरगढी करवाना चाहता है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी की आराजीयात की भूमि की पत्थरगढी करने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थनापत्र बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी भूमिधारी तहसीलदार झल्लारा हाजिर रहे।

पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण की बहस अपने प्रार्थना पत्र अनुसार रही तथा भूमिधारी तहसीलदार झल्लारा ने मौखिक कथन किया कि प्रार्थीगण के आराजीयात की पत्थरगढी की जाती है तो कोई आपत्ति नही है।

बहस मनन की गई एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण मौजा साजनोत पटवार हल्का बुडेल तहसील झल्लारा खाता संख्या

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

235 आराजी नम्बर 1986 रकबा 1.52 हैक्टेयर एवं 2011/1 रकबा 0.50 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 2.02 हैक्टेयर भूमि के रेकॉर्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी करवाये जाने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

–:आदेश:–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा साजनोत पटवार हल्का बुडेल तहसील झल्लारा खाता संख्या 235 आराजी नम्बर 1986 रकबा 1.52 हैक्टेयर एवं 2011/1 रकबा 0.50 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 2.02 हैक्टेयर भूमि की राजस्व रेकार्ड अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

प्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि मौके पर पत्थरगढी किये जाने हेतु पत्थर मय मजदूर खडडा करने एवं रोपने के लिये तहसीलदार को उपलब्ध करवाएं। साथ ही भ–अभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का को पाबंद किया जाता है कि प्रार्थीगण से पत्थरगढी शुल्क तहसीलदार, भू.अ.नि. व पटवारी का एक दिन का वेतन मय वाहन खर्च राजकोष में जमा हो। पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किये जाकर मौके पर मौतबीरान की उपस्थिति में प्रार्थी की उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढी करे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार झल्लारा के नाम जारी की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर करे।

निर्णय आज दिनांक **25–02–2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर सलूम्बर

(जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
जिला–सलूम्बर
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर